भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3554

जिसका उत्तर,15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी

3554. श्री राहुल रमेश शेवलेः
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
श्री भर्तृहरि मेहताबः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के मामले कई गुना बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं और ऐसे मामलों में संलिप्त बैंक कर्मचारियों की बैंक-वार संख्या कितनी है और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को क्रेडिट कार्ड में इलेक्ट्रॉनिक चिप और गुप्त पिन जैसे सुरक्षा सुविधाओं को जोड़ने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान बैंकों द्वारा ऐसे निर्देशों का पालन न करने के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और सरकार/आरबीआई द्वारा ऐसे बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा आरबीआई को यथासूचित गत तीन वर्षों के दौरान 1 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की एटीएम/क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वित्तीय वर्ष	मामलों की संख्या
2016-17	614
2017-18	1,020
2018-19	639

इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी में किसी स्टाफ की संलिप्तता नहीं पायी गयी है।

(ग) से (ड.): आरबीआई ने यह सूचित किया है कि उन्होंने बैंकों को अपने द्वारा जारी सभी मौजूदा मैगनेटिक स्ट्रिपिकार्ड को दिनांक 31.12.2018 तक ईएमवी चिप तथा पिन कार्ड में परिवर्तित करने की सलाह दी थी। आरबीआई ने यह भी सूचित किया है कि बड़े कार्ड जारीकर्त्ता से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, पीएसबी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी 98.64 प्रतिशत कार्ड ईएमवी चिप तथा पिन अपेक्षा को पूरा करते हैं।

आरबीआई ने सुरक्षा तथा इलेक्ट्रानिक/डिजिटल लेनदेनों से संबंधित जोखिम उपशमन उपायों के बारे में व्यापक अनुदेश जारी किए हैं; जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) कार्ड लेनदेनों को सुरक्षित बनाने के उपायों में सभी लेनदेनों के लिए ऑनलाइन एलर्ट अंतर्राष्ट्रीय उपयोग हेतु कार्ड ईएमवी चिप तथा पिन समर्थित होने चाहिए, व्यापारिक टर्मिनलों का प्रमाणन तथा मौजूदा सभी मैग्नेटिक स्ट्रिपिकार्डों का ईएमवी चिप तथा पिन कार्डों में परिवर्तन शामिल है।

(2) इंटरनेट बैंकिंग/इलेक्ट्रानिक भुगतानों को सुरक्षित बनाने के उपायों में लेनदेन के मूल्य/लेनदेनों के तरीकों/लाभार्थियों तथा दैनिक सीमा को निर्धारित करना तथा लाभार्थियों के जुड़ने पर एलर्ट जारी करना शामिल है।

(3) एटीएम लेनदेनों को सुरक्षित बनाने के उपायों में सभी लेनदेनों के लिए पिन दर्ज करने की अपेक्षा तथा सभी एटीएम को ईएमवी चिप तथा पिन कार्ड के उपयोग हेतु सक्षम बनाना शामिल है।

(4) प्रीपेड भुगतान लिखितों (पीपीआई) को सुरक्षित करने के उपायों में पीपीआई जारीकर्ताओं द्वारा पीपीआई और प्रस्तावित अन्य सेवाओं के लिए प्रदान किया गया लॉग-इन एक होने पर ग्राहकों को सूचित करना, पीपीआई में लॉग-इन करने के लिए अनेक अमान्य (गलत) प्रयासों को सीमित करना तथा समय-सीमा समाप्त जैसी विशेषताएं, वॉलट से प्रत्येक उत्तरोत्तर भुगतान संबंधी लेनदेन के लिए ग्राहक की सुस्पष्ट सहमति के द्वारा अधिप्रमाणन, डेबिट कार्डों के अधिप्रमाणन के लिए अतिरिक्त घटकों की आवश्यकता लेनदेनों की संख्या तथा मूल्य को सीमित करने वाले ग्राहक जनित विकल्पों की व्यवस्था पीपीआई खोलने/शुरु करने पर निधियों के अंतरण हेतु उचित वरिम अवधि की व्यवस्था और पीपीआई लेनदेनों के संबंध में अलर्ट जारी करना शामिल है।

(5) आरबीआई ने अप्राधिकृत इलेक्ट्रानिक बैंकिंग लेनदेनों के संबंध में ग्राहकों की देनदारी को सीमित करने वाले अनुदेश भी जारी किए हैं।

आरबीआई ने यह सूचित किया है कि ऋण या कार्ड धोखाधड़ी संबंधी कोई सूचना प्राप्त होने पर इसे संबंधित बैंकों से संबद्ध आरबीआई के वरिष्ठ पर्यवेक्षीय प्रबंधक को आरोप की जांच करने तथा अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए भेजा जाता है। तथापि, यदि कार्ड अनुषंगी/तृतीय पक्ष का कंपनी द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे अपेक्षित कार्रवाई आरंभ करने हेतु आरबीआई में संबंधित विभाग को भेजा जाता है।

*****